न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

केम्प इन्दौर निग 2953-PBR/16

1— हेमसिंह पिता ~~नंदराम~~ जाति रघुवंशी उम्र 60 वर्ष
धंधा खेती निवासी ग्राम बरदरी तह0 व जिला धार

2— नंदराम पिता रूगनाथ जाति रघुवंशी उम्र 58 वर्ष
धंधा खेती निवासी ग्राम बरदरी तह0 व जिला धार

....................निगरानीकर्ता

बनाम

जितेन्द्र पिता अंबाराम जाति रघुवंशी
धंधा खेती निवासी ग्राम बरदरी तह0 व जिला धार

...........................विपक्षी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भूरासं 1959 मुजब

श्री .... महोदय,
द्वारा आज दि 2-9-16 को
प्रस्तुत

सेवा में निगरानीकर्तागण का अत्यंत विनम्रता से निवेदन है कि ग्राम बरदरी तह0 व जिला धार की भूमि के संबंध में हमारे व वर्तमान विपक्षी के जो मूल प्रकरण राजस्व प्रकरण क्रमांक/58/2015–16/अ–12 का प्रार्थी है उसके व हमारे बीच दीवानी मुकदमे पूर्व से चल रहे है जिसमें मूल प्रकरण के प्रार्थी ने जितेन्द्र आदि ने छलयुक्त वाद पर आबादी क्षेत्र में जहां मकानात बने है जिस क्षेत्र में नाप विधि से संभव नही है जिस संबंध में पूर्व में भी नाम आदि बताकर रोक मांगी थी। हरिसिंह व जितेन्द्र ने रोक मांगी थी जो भूमि सर्वे नंबर 306 जिसके दो भाग है 306/1 व 306/2 है जितेन्द्र ने 306/1 का हकदार बताया है व कार्यवाही 12.06.15 को कही है एक साल तक कोई कार्यवाही नही हुई मामला पेडिंग रहा कई बार वाद में निर्णय हुए आज्ञाएं हुई वे सब छिपाकर उनमें पराजित होकर मूल प्रकरण के प्रार्थी ने राजस्व निरीक्षक व पटवारी से मिलकर यकायक उन्हे कोई विधिक आज्ञा न होते हुए न ऐसी आज्ञा प्रकरण मे मोजुद है। न होने का प्रश्न है। यकायक यथाकथित हितधारी अडोसी पडोसी व अन्य शासकीय नंबर भी कहे गये है अन्य भूमिया कही गई है वे सब छिपाकर यकायक सालभर बाद याने 15.06.2015 होकर उसके साल भर बाद 04.06.2016 की कहानी कहकर दिनांक 04.07.2016 के **सूचना** पत्र में काटा कुटी है। संपूर्ण चारो तरफ के काश्तकारो को विधिक सूचना **भी नही** है फिर उक्त प्रकरण में चारो तरफ के काश्तकारो की भूमि का नाप किये **बिना** ... 124 से 129 नियम उपनियम का अपालनकर है कोई पंचनामा नक्शा **अथवा** ... बी, सी, डी, ई, एफ, जी स्थान आदि डालकर कोई पंचनामा हो व **रिपोर्ट** ...

राजस्व प्रकरण क्रमांक 58/2015–16/अ–12 में व्यर्थ है विचाराधिकार रहित है। भूरासं के नाप के नियम उपनियम का पालन किये बिना कोई अंतिम आज्ञा 18.07.2016 को दी हो तो व पंचनामा रिपोर्ट है तो व उस पर से कोई नक्शा व उसमें अंकन ई. एफ. जी आदि है तो वह व्यर्थ है जबकि सर्वे नंबर 312, 311, 310, 321, 306, 307 अथवा 297 को कोई व्यक्तिगत सूचना नही है हमारे 306/1 व 306/2 के बीच का स्थान है वह किसका है उसका उल्लेख नही है उसका नाप नही है अतः अंतिम आज्ञा 18.07.2016 व 04.07.2016 व 05.07.2016 अवैध विचाराधिकार रहित है जिसे अपास्ति बाबद यह निगरानी निम्न आधारो पर कानून सम्मत सादर सदभावनापूर्वक पेश है :–

R 2953/PBR/16 धारा

हेमसिंह / जितेन्द्र

15.11.2016	आवेदकगण की ओर से सूचना उपरांत कोई भी उपस्थित नहीं। तीन बार पुकार लगवाई गई, फिर भी कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है।
	अध्यक्ष